बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-16/2018- 30 /वि०स० । 7/1/19

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2018 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । एकादश सत्र में कुल पाँच (5) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि लोकतंत्र में आम जनता अपनी बात जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सदन तक पहुँचाती है जिससे सबके हितों की समान रूप से सुरक्षा प्रदान करते हुए नीतियों का निर्धारण होता है । जन भावना को व्यक्त करते हुए सार्थक विमर्श ही इस सभा की विशेषता है । अत: नीति निर्देशन में जनता की आवाज जितनी अधिक शामिल होगी, उस नीति में उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं की उतनी ही अधिक झलक मिलेगी और यह सब तभी हो सकता है जब सदन सुव्यवस्थित चले एवं पक्ष-विपक्ष की साझेदारी से जनहित के मुद्दों के समाधान का रास्ता निकले ।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र से प्रश्नों की ऑन लाईन सूचना प्रणाली यानी क्वेशचन रिप्लाय मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाने की शुरूआत की गयी है । इसमें आपके द्वारा ऑन लाईन प्रश्न पूछने एवं सरकार के विभागों द्वारा ऑन लाईन उत्तर सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस लघु सत्र में प्रश्नों की दो श्रेणी अल्पसूचित एवं तारांकित में 117 प्रश्न 22 माननीय सदस्यों के द्वारा ऑन लाईन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुए हैं । इनमें से सबसे अधिक प्रश्न माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दिये गये हैं । श्री गुप्ता जी के साथ अन्य माननीय सदस्यों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ । आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । इसके साथ ही सभा सचिवालय की कार्य पद्धति को भी यथासंभव कम्प्यूटरीकृत करते हुए कागज के कम उपयोग की कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए **नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेभा)** अपनाने की कार्रवाई की जा रही है । इससे संबंधित प्रथम कार्यशाला का भी आयोजन पिछले दिनों किया गया है । आपको प्रसन्नता होगी इसे लागू करने के मामले में बिहार विधान सभा की योजना सबसे आगे है । इस प्रणाली के लागू हो जाने से प्रश्नों के साथ-साथ सभा सचिवालय के अन्य कार्यों के निष्पादन में काफी तेजी आयेगी । इसके अलावा आई०टी० के विकसित तकनीकों को अपनाने में भी बिहार विधान सभा सचिवालय में जेम (Gem) से आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया गया है, जिसके लिए बिहार सरकार की ओर से सभा सचिवालय को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब बिहार की जनता की आवाज को इस सदन में नियमपूर्वक उठाते रहेंगे औरसदन के सफल संचालन में आपका सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त होगा ।

अध्यादेश

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित **''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018''** की प्रति सभा मेज पर रखा गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को दशम् सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित पाँच (05) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

(1) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018

(2) बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

(3) बिहार वित्त विधेयक, 2018

(4) बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018

(5) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

निरर्हित

सभा सचिव द्वारा विशेष न्यायालय सी०बी०आई०, रांची के द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में षोडश बिहार विधान सभा में निर्वाचित श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स०वि०स०, क्षेत्र सं०-212, डिहरी के विरूद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1) (इ) के प्रावधानों के तहत् श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स०वि०स०, दोषसिद्धि की तिथि दिनांक 27.09.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, के धारा 34 (2) (i) के अन्तर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उसपर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के तहत् बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के कुल 163 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की मुद्रित प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

6. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा- 22(3) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०- 182, दिनांक- 25.05.2018 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा- 166 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-148,149, दिनांक- 07.03.2018 / एस०ओ०-154, 155, 156, 157, 158, दिनांक- 23.03.2018 / एस०ओ०-159, दिनांक- 26.03.2018 / एस०ओ०-160, दिनांक- 27.03.2018 / एस०ओ०-163, 164, दिनांक- 03.04.2018 / एस०ओ०-179, दिनांक- 18.04.2018 / एस०ओ०-180, दिनांक-19.04.2018 / एस०ओ०-181, दिनांक-14.05.2018 / एस०ओ०-183, 184, दिनांक- 28.05.2018 / एस०ओ०-185, 186, दिनांक- 13.06.2018 / एस०ओ०-188, दिनांक- 19.06.2018 / एस०ओ०-203, 204, दिनांक- 29.06.2018 एवं एस०ओ०-205, दिनांक-06.07.2018 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
2. बिहार औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018
3. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018

याचिका

इस सत्र में कुल 87 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 58 स्वीकृत हुए तथा 29 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 137 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 132 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 05 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 710 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 558 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 10 अल्पसूचित, 490 तारांकित एवं 58 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 01 प्रश्न उत्तरित हुए तथा शेष 557 प्रश्न अनागत हुए । इन अनागत प्रश्नों में से 300 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 126 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 46 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 72 ध्यानाकर्षण सूचनायें अस्वीकृत हुए ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 78 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए एवं सभी सूचनाएँ सदन के लिए स्वीकृत हुए ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय भीष्म नारायण सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
2. स्वर्गीय हीरा लाल पासवान,
3. स्वर्गीय राम रूप राय, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय प्रो० रामदेव भंडारी, पूर्व सांसद
5. स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय फैयाज भागलपुरी, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय अजीजुल हक, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय भोला सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
9. स्वर्गीय अब्दुल जलील, पूर्व स०वि०स०
10. स्वर्गीय कमल नाथ सिंह ठाकुर, पूर्व स०वि०प०
11. स्वर्गीय जागेश्वर हाजरा, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव, 03/01/2019
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....